ऑन लाईन नं. RCMS 2022/00107

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 11/2022

1. कृष्णलाल पुत्र श्री काशीराम जाति जाट निवासी गांव 9 टी.के.डब्ल्यु खीचड़ावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. विकास अधिकारी, सादुलशहर जरिये बीडीओ।
2. ग्राम पंचायत ताखरांवाली–जरिये सचिव, ग्राम पंचायत ताखरांवाली

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व प्रस्ताव ग्राम पंचायत ताखरावाली द्वारा पूर्व में दिनांक 05.08.2015 को उप स्वास्थ्य केन्द्र चक 9 टीकेडब्ल्यू खीचड़ावाली की आरक्षित जगह के पट्टे को वर्तमान में सरपंच ग्राम पंचायत ताखरांवाली द्वारा पट्टे को निरस्त करने हेतु विधि विरूद्व प्रस्ताव पारित कर पंचायत सादुलशहर को भेजा गया, उसका रिकॉर्ड मंगवाकर वर्तमान में जो पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित किया है उसे रद करने हेतु।

उपस्थित :

1. श्री तेजा सिंह सधू अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री दिनेश छाबड़ा अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1,2

:: आदेश :: दिनांक :– 21.06.2022

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि आदेश अधीनस्थ अदालत खिलाफ कानून, वाकेयात व इन्साफ न होने की वजह से काबिल निरस्ती है। ग्राम पंचायत ताखरांवाली में आज से 7–8 वर्ष पूर्व दिनांक 05.08.2015 को प्रस्ताव संख्या 11 में चिकित्सालय हेतु आरक्षित कर पट्टा जारी किया गया था। उस समय इसी आरक्षित जगह पर एक पशु चिकित्सालय, स्वास्थ्य केन्द्र के लिए आरक्षित कर पट्टा जारी किया गया था। आदेश की कम्प्लायन्स में दिनांक 18.09.2015 को पट्टा जारी कर दिया गया था उसके बाद भिन्न भिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार की योजना के अनुमोदन में पशु चिकित्सालय के लिए 12 लाख रूपये स्वीकृत किये गये और उसकी बिल्डिंग भी बन बयी। इसी प्रकार स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 28 लाख रूपये स्वीकृत हुए है। सरपंच के अलावा किसी भी ग्रामवासी को कोई ऐजराज नहीं है, जन कल्याण योजना थी , एक ही दिन दोनो पट्टे जारी किये गये थे यदि पशु चिकित्सालय में राशि स्वीकृत कर भवन निर्माण किया जा सकता है तो स्वास्थ्य केन्द्र में भवन निर्माण करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है, लेकिन मौजूदा सरपंच ताखरावाली रंजिशवंश इस प्रस्ताव की कम्प्लायन्स में जारी किये गये पट्टे को निरस्त करने के लिए पंचायत समिति में प्रस्ताव पारित कर भेजा गया है जो आम नागरिक के विरूद्व व विधि के विरूद्व होने के कारण काबिले निरस्ती है। ग्राम पंचायत द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित करके पंचायत समिति सादुलशहर को भेजा है, भेजने से पूर्व साधारण सभा की कोई मीटिंग नहीं बुलाई, आमजन नागरिक के लिए कहीं कोई नोटिस चस्पा नहीं किया। आम नागरिक को कोई सूचना नहीं दी गयी। ग्राम पंचायत ताखरवाली का प्रस्ताव एक तरफा प्रस्ताव है जो विधिविरूद्व होने के कारण काबिले निरस्ती है। दिनांक 05.08.2015 को ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके पट्टा भी जारी कर दिया गया था उसके बाद मौके पर जगह स्वास्थ्य केन्द्र

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

की आरक्षित होने के आधार पर इसका भवन निर्माण के लिए 28 लाख रूपये का प्रपोजल स्वीकृत हो चुका है लेकिन सरपंच रंजिशवंश राजनीति से प्रेरित होकर इस पट्टे को खारिज करवाना चाहता है जो कि पट्टा किसी प्राईवेट व्यक्ति का नहीं है एक जनहित संस्था का है। स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण होने से आम नागरिक को इसका लाभ पहुंचने के उदेश्य से यह जगह आरक्षित की गयी थी लेकिन वर्तमान जो सरपंच है वह राजनीति से प्रेरित होकर इसके खारिज करवाना चाहता है, इसलिए जो उसका खारिज करने का प्रस्ताव पंचायत समिति सादुलशहर को भेजा है वह निरस्त किया जाना इन्साफ की दृष्टि से आवश्यक है। प्रार्थी एक जागरूक नागरिक है। प्रार्थी द्वारा इस भवन के लिए जो राशि स्वीकृत हुई है उसका निर्माण करने के लिए भिन्न–भिन्न जगह पर आवेदन पत्र दिये है लेकिन सरपंच ग्राम पंचायत टस से मस नहीं हो रहा है। प्रार्थी द्वारा जो ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पंचायत समिति सादुलशहर को भेजा है उसकी नकल लेने के लिए भी आवेदन पत्र दिया उसकी नकल भी नहीं दी जा रही है। काफी प्रसास किया लेकिन नकल देने से सरपंच द्वारा साफ इन्कार कर दिया। पंचायत समिति सादुलशहर के कार्यालय में नकल लेने के लिए गये तो पचांयत समिति सादुलशहर से सभी नकल नहीं मिली। इसलिए विना नकल के ही निगरानी पेश की जा रही है। न्यायहित में नकल के बिना ही निगरानी दर्ज किये जाने की अनुमति दी जानी आवश्यक है। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत ताखरावाली द्वारा चक 9 टीकेडब्लयु खीचड़ावाली में आरक्षित स्वास्थ्य केन्द्र से सम्बन्धित रिकॉर्ड पंचायत समिति सादुलशहर से मंगवाकर ग्राम पंचायत ताखरावाली का प्रस्ताव निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें और स्वास्थ्य केन्द्र में भवन निर्माण करवाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जावें।

निगरानी से संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी वहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत ताखरांवाली में आज से 7–8 वर्ष पूर्व दिनांक 05.08.2015 को प्रस्ताव संख्या 11 में चिकित्सालय हेतु आरक्षित कर पट्टा जारी किया गया था। उस समय इसी आरक्षित जगह पर एक पशु चिकित्सालय, स्वास्थ्य केन्द्र के लिए आरक्षित कर पट्टा जारी किया गया था। आदेश की कम्प्लायन्स में दिनांक 18.09.2015 को पट्टा जारी कर दिया गया था उसके बाद भिन्न भिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार की योजना के अनुमोदन में पशु चिकित्सालय के लिए 12 लाख रूपये स्वीकृत किये गये और उसकी बिल्डिंग भी बन बयी। इसी प्रकार स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 28 लाख रूपये स्वीकृत हुए है। सरपंच के अलावा किसी भी ग्रामवासी को कोई ऐजराज नहीं है, जन कल्याण योजना थी , एक ही दिन दोनो पट्टे जारी किये गये थे यदि पशु चिकित्सालय में राशि स्वीकृत कर भवन निर्माण किया जा सकता है तो स्वास्थ्य केन्द्र में भवन निर्माण करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है, लेकिन मौजूदा सरपंच ताखरावाली रंजिशवंश इस प्रस्ताव की कम्प्लायन्स में जारी किये गये पट्टे को निरस्त करने के लिए पंचायत समिति में प्रस्ताव पारित कर भेजा गया है जो आम नागरिक के विरूद्व व विधि के विरूद्व होने के कारण काबिले निरस्ती है।ग्राम पंचायत द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित करके पंचायत समिति सादुलशहर को भेजा है, भेजने से पूर्व साधारण सभा की कोई मीटिंग नहीं बुलाई, आमजन नागरिक के लिए कहीं कोई नोटिस चस्पा नहीं किया। आम नागरिक को कोई सूचना नहीं दी गयी। ग्राम पंचायत ताखरवाली का प्रस्ताव एक तरफा प्रस्ताव है। दिनांक 05.08.2015 को ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके पट्टा भी जारी कर दिया गया था उसके बाद मौके पर जगह स्वास्थ्य केन्द्र की आरक्षित होने के आधार पर इसका भवन निर्माण के लिए 28 लाख रूपये का प्रपोजल स्वीकृत हो चुका है लेकिन सरपंच रंजिशवंश राजनीति से प्रेरित होकर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

इस पट्टे को खारिज करवाना चाहता है जो कि पट्टा किसी प्राईवेट व्यक्ति का नहीं है एक जनहित संस्था का है। स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण होने से आम नागरिक को इसका लाभ पहुंचने के उदेश्य से यह जगह आरक्षित की गयी थी। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत ताखरावाली द्वारा चक 9 टीकेडब्लयु खीचड़ावाली में आरक्षित स्वास्थ्य केन्द्र से सम्बन्धित रिकॉर्ड पंचायत समिति सादुलशहर से मंगवाकर ग्राम पंचायत ताखरावाली का प्रस्ताव निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें और स्वास्थ्य केन्द्र में भवन निर्माण करवाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जावें।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा जो निगरानी प्रस्तुता की गई वह चलने योग्य नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.08.2015 को जारी किये गये पट्टे के सम्बन्ध में प्रपोजल तैयार किया गया न कि दिनांक 05.08.2015 को जारी पट्टा को निरस्त किया गया है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया तो पाया कि पाया कि निगरानीकर्ता द्वारा जो निगरानी पेश की गई है वह दिनांक 05.08.2015 को उप स्वास्थ्य केन्द्र चक 9 टी.के.डब्ल्यू खीचड़ावाली की आरक्षित जगह के पट्टे को विधिविरूद्व प्रस्ताव पारित कर पंचायत समिति सादुलशहर को भेजा गया, उसका रिकॉर्ड मंगवाया जाकर वर्तमान में जो पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित किया है को रद्व करने बाबत पेश की है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.08.2015 को जारी किये गये पट्टे के सम्बन्ध के प्रस्ताव पारित किया गया न कि उक्त पट्टा को निरस्त किया गया। अगर पंचायत उक्त पट्टा को निरस्त करती है जो निगरानीकर्ता उक्त आदेश के विरूद्व निगरानी पेश कर सकता है न कि किसी प्रस्ताव के विरूद्व। '' **विकास अधिकारी पंचायत समिति की रिपोर्ट क्रमांक 985 दिनांक 16.06.2018 के अनुसार चक 9 टीकेडब्ल्यू में उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा 2015 में जारी किया गया था उस पट्टे से सम्बन्धित मिसल ग्राम पंचायत में न होना, पट्टे की कोई रसीद न कटी होना तथा पट्टे पर ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर न होने के आधार पर पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 167(2) के तहत पट्टा विधिमान्य नहीं है। ग्राम पंचायत ताखरावाली के पत्रांक 337 दिनांक 10.02.2022 के अनुसार उक्त विवादित पट्टा नियमानुसार जारी नहीं होना पाया गया है। उक्त पट्टे को खारिज करने के लिये पंचायत समिति सादुलशहर की प्रशासन स्थापना एवं स्थाई समिति की बैठक दिनांक 15.03.2022 में प्रस्ताव संख्या 01 के तहत किया गया , जो कि विचाराधीन है।**'' विकास अधिकारी पंचायत समिति सादुलशहर की उक्त रिपोर्ट से प्रमाणित होता है कि उक्त विवादित पट्टा के सम्बन्ध में प्रपोजल तैयार किया गया है न कि उक्त विवादित पट्टा निरस्त किया गया है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा उठाये गये बिन्दू पोषणीय नहीं है। ग्राम पंचायत की प्रकिया में विधिक दृष्टि में कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है। ऐसे में ग्राम पंचायत के 15.03.2022 की बैठक के प्रस्ताव सख्या 1 विरूद्व पेश उक्त निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है।

आदेश की प्रमाणित प्रति ग्राम पंचायत ताखरावाली को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 21.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन),श्रीगंगानगर